मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२२ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) में, धारा ९ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"(६) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ से २०२५-२०२६ के दौरान ऐसे अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी जैसे कि केन्द्र सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, जो उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किए जाएंगे.".

वृहत् नाम का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में विद्यमान वृहत् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहत् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश राज्य में हाई स्पीड डीजल के विक्रय पर उपकर उद्ग्रहीत करने के लिए अधिनियम.".

धारा ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर हाई स्पीड डीजल के व्यापारी की कर योग्य कुल राशि पर उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा.".

धारा ४ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि.";

(दो) उप-धारा (१) और (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए उपकर और ब्याज (जुर्माने को छोड़कर) के आगम, प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुए वसूली के व्ययों की कटौती करने के पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के नाम से एक पृथक् निधि में प्रविष्ट और अंतरित किए जाएंगे.

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास निधि में अंतरित रकम को राज्य के भीतर ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए या उस हेतु लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा निर्धारित की गई है, जो कि वर्तमान में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ की उप-धारा (२) के खण्ड (ख) में उल्लिखित है. उपरोक्त ऋण सीमा के अतिरिक्त पूंजीगत कार्यों के लिए तथा माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा दीर्घकालीन ऋण समय-समय पर स्वीकृत किया जा रहा है. राज्य सरकार को उपरोक्त अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने के उद्देश्य से मूल अधिनियम की धारा ९ में नवीन उप-धारा (६) जोड़कर यथोचित संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

२. राज्य में ग्रामीण आवास हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के स्वरूप को और वृहद् बनाना आवश्यक है, जिस हेतु मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) में धारा ४ में संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख ९ मार्च, २०२२

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) से उद्धरण

धारा ९. (१) राज्य सरकार, ऐसे लक्ष्यों को विहित कर सकेगी, जो वह राजकोषीय प्रबन्धन के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार—

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करेगी जिससे इसे ३१ मार्च, २००९ तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बढ़ाया जा सके;

(ख) "यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ एवं २०२२-२३ के लिए राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के क्रमश: ४.०० प्रतिशत एवं ३.५० प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४, २०२४-२५ एवं २०२५-२६ के जी.एस.डी.पी. के ३.०० प्रतिशत से अधिक न रहे. (विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन के आधार पर) वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२४-२५ के लिए राजकोषीय घाटे में उस वर्ष के जी.एस.डी.पी. के ०.५ प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी.".

(ग) "यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ तथा २०१४-१५ के लिए कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिये प्राक्कलित जीएसडीपी के क्रमश: ३७.६ प्रतिशत, ३६.८ प्रतिशत, ३६.० प्रतिशत तथा ३५.३ प्रतिशत से अधिक नहीं हो;".

(घ) प्रत्याभूतियों की वार्षिक वृद्धि दर परिसीमित करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की, कुल प्रत्याभूतियां पूर्ववर्ती वर्ष की, कुल राजस्व प्राप्तियों के ८० प्रतिशत से अधिक नहीं हों;

परन्तु राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, भारत संघ के बजट प्राक्कलन के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमन में कमी के आधार पर या आधारों के कारण और/या राज्य सरकार के वित्त पर आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं के आधार या आधारों के कारण या ऐसे अन्य आपवादिक आधारों के कारण जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेंगे:

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में एक विवरण धारा ११ में अन्तर्विष्ट किये गये अनुसार विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा.

"(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, उर्जा विभाग की कंपनियों के वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए, उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) के अधीन उधारों को, राज्य की शुद्ध उधार लेने की सामान्य अनुज्ञेय अधिकतम सीमा के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा."

"(४) उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, ३१ मार्च, २०२० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार रु. ४४४३.०० करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी, जो कि उपधारा (२) में उल्लेखित किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा."

"(५) उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी सीमा या लक्ष्य के होते हुए भी, ३१ मार्च, २०२१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, राज्य सरकार ऐसा अतिरिक्त ऋण, जो केन्द्र सरकार निर्धारित करे, प्राप्त कर सकेगी, जो कि उपधारा (२) में उल्लेखित किसी सीमा या लक्ष्य के विरुद्ध संगणित नहीं किया जाएगा."

मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, २०१८ (क्रमांक १२ सन् २०१८) से उद्धरण

* * * *

"मध्यप्रदेश राज्य में परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए, मध्यप्रदेश राज्य में हाई स्पीड डीजल के विक्रय पर उपकर उद्ग्रहीत करने के लिए अधिनियम."

धारा ३ (१) "मध्यप्रदेश राज्य में परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर हाई स्पीड डीजल के व्यापारी की करयोग्य कुल राशि पर उपकर उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा."

धारा ४ (१) "इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए उपकर और ब्याज (जुर्माने को छोड़कर) के आगम, प्रथमत: राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुए वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात्, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के नाम से ज्ञात, एक पृथक् निधि में प्रविष्ट और अंतरित किए जाएंगे."

(२) "मध्यप्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि में अंतरित रकम को राज्य के भीतर परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए या उस हेतु लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा."

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.